

आदेश न इतरकास अन्तर सिंह मेहरा आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रमाण संख्या 126/2021 (भाग 14 विवेकीकरण)

दीवान हाकीम साईमन कार्यालय सि० राजीव कार्यालय साईम हादम, द्वितीय तल, सर पी.एम.
रोड, पी०, मुम्बई तथा शायद कार्यालय 352/5, नृतीय तल जयपुर टाउन एम आई रोड जयपुर
राजस्थान जयपुर प्रसिद्ध अधिकारी श्री सुरेश कुमार यादव ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

कनाम

1. जन्हेल सिंह पुत्र श्री हाकीम सिंह, निवासी-प्लॉट नम्बर 84/808, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर,
राजस्थान-302017

एवं

निवासी-क्याटेर नम्बर बी-1/सी, बरसावाला जेडीए स्कीम, टाटिका रोड, सांगानेर, जयपुर,
राजस्थान-302009

2. श्रीमती बरसावाली देवी प्रानी श्री जन्हेल सिंह, निवासी-प्लॉट नम्बर 84/808, प्रताप नगर,
सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302017

अप्रार्थीगण

श्री एन एन मारुटर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002.

उपस्थित-श्री विक्रम सिंह अधिकारी प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 30.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी श्रेणी को दिनांक
31.12.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जन्हेल सिंह पुत्र श्री
हाकीम सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति क्याटेर नम्बर बी-1/सी, बरसावाला जेडीए स्कीम, टाटिका
रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 30.40 वर्गमीटर को बन्धक रख कर
3,30,004/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी श्रेणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत
अप्रार्थी श्रेणी को दिनांक 18.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये
जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The
securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का
भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस हमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी श्रेणियों को सूचना
पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

स्ट्रेट
जयपुर

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का बारीक्यांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10 नवम्बर 2003 से क्रम संख्या 6 पर सरकारी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 3,30,084/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 1,36,377/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में भी नोटिस का प्रकाशन कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री जन्डेल सिंह पुत्र श्री हाकीम सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति क्वार्टर नम्बर बी-1/सी, बक्सवाला जेडीए स्कीम, वाटिका रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 30.40 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 30/9/21
 (अन्तर सिंह नहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर